

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जयपुर/एफ.24857/2024/

दिनांक :

आदेश

प्रशासनिक

श्री सूरज नारायण शर्मा, अतिरिक्त अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा जिनकी जन्म तिथि 10.06.1965 है, को 60 वर्ष अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.06.2025 को राज्य से सेवानिवृत्त किया जाता है।

प्रशासनिक

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री सूरज नारायण शर्मा, अतिरिक्त अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जयपुर/एफ.24857/2024/1750

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
3. प्रभारी, डीपीसी अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
4. श्री सूरज नारायण शर्मा, अतिरिक्त अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को सूचनार्थ।
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

दिनांक : 31/12/2024

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma

Designation : Director

Date :27-12-2024 05:08:05